न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 98/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/176)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. अमर सिंह हेयर पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 24 एच बी तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 11.06.2024

उपस्थितः 1.श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 11.09.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 07/18 के मुरब्बा नम्बर 31,32 की कुल 2.240 हैक्टेयर नहरी मय बारानी भूमि वादी के नाम से सहखातेदारान के नाम दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 31 व 32 में कुल 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि वर्ष 1994 से सिंचाई पानी लग रहा है और वादी अपने रकबा को सिंचित कर, उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है। सिंचाई विभाग के अनुसार उक्त मुरब्बा नम्बर 31(राजस्व), (37 नहरी) का 1 बीघा 19 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 32(राजस्व), (38 नहरी) का 1 बीघा कमाण्ड है। मुताबिक सीसीए के अनुसार आज तक मौका पर मुरब्बा नम्बर 31 व 32 की कुल 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि की पानी की सिंचाई बारी मुरब्बा नम्बर 38 के नाके पर वादी, सतनाम सिंह, अभिनव सिंह के नाम से चल चल रही है। जबकि मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 3 ही नहरी है। हांलकि मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 3 व 4 सिंचित है। वादी उक्त किला नम्बर 3 व 4 के रकबा में सिंचाई करके, पिछले काफी समय से फसल पैदा करता आ रहा है, लेकिन राजस्व अभिलेख में किला नम्बर 4 असिंचित है या बारानी दर्ज है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 07/18 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 4 को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 410 दिनांक 23.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 24 एच बी के मुरब्बा नम्बर 31 में 1 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड है तथा मुरब्बा नम्बर 32 में 1 बीघा कुल 2 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड है। मुरब्बा नम्बर 31 में 0.240 हैक्टेयर कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 32 में 0.119 हैक्टेयर अनकमाण्ड किया जाना उचित है। उक्त रकबा की 5500/– रुपए अन्तराशि वसूल योग्य है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 07/18 की छायाप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू. अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 24.05.2023 की छायाप्रति, सीसीए चक प्लान की छायाप्रति, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 588 दिनांक 16.02.2023 की छायाप्रति, खण्डीय सिंचन अधिकारी, जल संसाधन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25.02.2019 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू. अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 07/18 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 4 को बारानी से नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 24 एच बी के मुरब्बा नम्बर 31 में 1 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड है तथा मुरब्बा नम्बर 32 में 1 बीघा कुल 2 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड है। मुरब्बा नम्बर 31 में 0.240 हैक्टेयर कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 32 में 0. 119 हैक्टेयर अनकमाण्ड किया जाना उचित है। उक्त रकबा की 5500/– रुपए अन्तराशि वसूल योग्य है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ. नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 07/18 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 4 की 0.240 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी व मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 2/2 की 0.119 हैक्टेयर नहरी भूमि को बारानी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अमर सिंह हेयर बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **98/2024**

निर्णय दिनांक :- 11.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 07/18 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 4 की 0.240 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी व मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 2/2 की 0.119 हैक्टेयर नहरी भूमि को बारानी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे।

आज दिनांक 11.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	योग	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांकः 11.09.2024

क्रमांकः रीडर/2024/522

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिशिचत करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर